करौली (राज०)

26.8.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील गैर सायलान उपस्थित। बहस वकील गैर सायलान का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायलान ने यह काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त आराजी खं. नं. 2829 ता० 2831, 2834, 2835 2867, 2832, 2860 ता० 2863 कुल किता 11 कुल रकबा 4 बीघा कस्बा करौली सायलान के पिता व पति अब्दुल रहीम के खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं है। बल्कि गैर सायलान के खातेदारी व कब्जे की है जिस पर गैर सायलान अपने पिता व पति हबीब बेग के समय से काबिज काश्त है जिसे गैरसायलान ने डिग्गी मेहनत एवं पैसे लगाकर काबिल काश्त बनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हुक्म		

है। और प्रार्थी पोश रिहायश बनाकर मय परिवार
रिहायश कर रहे है। जिसका सायलान व अब्दुल
रहीम व अब्दुल समद ने कोई एतराज नही
किया हैं। सायलान ने अब्दुल रहीम की मृत्यु
के बाद बेईमानी पूर्वक जमीन हड़पने हेतु लिये
महज पेपर एन्ट्रीज के आधार पर दावा व
प्रार्थना पत्र पेश किये है। सायलान गैर सायलान
के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त
करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त आराजी
पर गैर सायलान का कब्जा काश्त है। और
गैर सायलान का आराजी पर मुस्तकिल कब्जा
है। आराजीयात के गैर सायलान खातेदार काश्त
कार है। गैर सायलान सायलान को गैर सायलान
के कब्जे काश्त मे व्यवधान नही करने को
अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये काउन्टर प्रार्थना
पत्र पाबन्द कराने के अधिकारी है।

काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
को सायलान ने ~~अस्वीकार~~ करते हुये कथन
किया है कि गैर सायलान ~~के पक्ष मे~~ ने सायलान
को परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र
काउन्टर T-9 प्रस्तुत किया है। गैर सायलान
मे अपना कब्जा मुस्तकिल खाना 60 साल पुराना
कतई गलत लिखा है। गैर सायलान की भूमि
मे कोई रिहायश नही है। गैर सायलान नागौर
मे मिर्जा मौहल्ले मे रहते है। गैर सायलान की
भूमि मालपुर गेट बाहर स्थित है। गैर
सायलान आदतन अपराधी है। लम्बा परिवार
है और सायलान को तंग व परेशान करते
है। दि० 20.2.2000 को गैर सायलान जमीन
मे पट्टी, गड्डू लेकर पहुंच गये सायलान ने
आपत्ति की पांच आदमी इकट्ठे किये तो
गैर सायलान ने पत्थरो को हटा लेने की कहा
और कुछ दिन बाद ही धमकी दी कि जबरन
पत्थर डालेंगे तब सायलान ने दि० 4/3/2000
को दावा व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे
प्रस्तुत किये हैं। गैर सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अहद... हुक्म... में ...
	विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। और काउन्टर प्रार्थना पत्र T-9 खारिज किये जाने का कथन किया है। बहस गैर सायल को मनन करने एवं पत्रावली के प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2064 से 2067 में भूमि अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल समद व अकबरी उर्फ मुन्नी पत्नी अब्दुल रहीम मुसलमान के नाम दर्ज है। गैर सायलान भूमि के खातेदार नहीं है। गैर सायलान सायलान रिकार्ड खातेदारान के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रार्थनापत्र काउन्टर T.9 चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा गैर सायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली के साथ शामिल रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी ...ली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2020.09.25 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner